न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
98 / 2012	18.06.2012	21.06.2022

पीठासीन अधिकारी–हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– छीतरलाल आत्मज लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी ग्राम कचौलिया तह0 दीगोद (मृतक) के कायम मुकामान

1/1 रामस्वरूप पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल

1/2 कलाबाई पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल

1/3 कोशल्या पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल

निवासीगण ग्राम कचौलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– कजोड पिता लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी कचौलिया

2– मथरी बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी जगन्नाथ जाति मेघवाल निवीस बालून्दी जिला बूँन्दी मृतक के कायम मुकामान

2/1 श्रवण माता मथरीबाई

2/2 रामरतन माता मथरीबाई

2/3 रामलाल माता मथरीबाई

2/4 प्रभूलाल माता मथरीबाई जातियान मेघवाल निवासी कचौलिया

3– नन्दकिशोर पिता कजोड जाति मेघवाल निवासी कचौलिया

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(अप्रार्थी)

वादीगण की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>निर्णय</u>

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण के पिता लक्ष्मण आत्मज रामा जी भूमिहीन किसान थे जिनको दिनांक 24.02.1967 को नियमानुसार ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 32/1 की 1 [illegible] नम्बर 32/2 की 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 32/3 की 19 बिस्वा, कुल तीन कि[illegible] बीघा 9 बिस्वा भूमि सशुल्क आवंटन की गयी थी। जिसका प्रमाण पत्र किश्त जारी कि[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

ह0 [illegible]

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

यह कि इसी प्रकार ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद की दिनांक 6.11.1968 को खसरा नम्बर 35/1 की 1 बीघा 5 बिस्वा, व दिनांक 18.11.68 को खसरा नम्बर 1/1 की 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नमबर 1/2 की 3 बिस्वा भूमि नियमानुसार सशुल्क आवंटन की गयी जिसका प्रमाण पत्र किश्त जारी किया गया।

यह कि उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 4 द्वारा सेटलमेन्ट कर दिया गया जिसके अनुसार ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद के नये खसरा नम्बर 69/760 की 0.17 हेक्टर व खसरा नमबर 69/761 की 0.17 हेक्टर कुल दो किता की 0.34 हेक्टर कायम किये गये। जो वादी के पिता के नाम दर्ज की गयी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 पेश है।

यह कि इसी प्रकार उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी नं. 4 द्वारा सेटलमेन्ट कर दिया गया जिसके अनुसार ग्राम कंवरपुरा तहसील दीगोद के नये खसरा नम्बर 59 की 0.43 हेक्टर कायम किये गये। जो वादी के पिता के नाम दर्ज की गयी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 पेश है।

यह कि वादी के पिता लक्ष्मण जी अपने जीवन काल तक उपरोक्त भूमियों को वे स्वंय काश्त करते रहे ओर आवंटन की राशि वादी से प्राप्त कर जमा करायी गयी तथा वादी अपने पिता के जीवन काल में भी उक्त भूमियों की काश्त की व्यवस्था उनके साथ रह कर करता चला आ रहा था। तथा उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमियों को वादी ही काश्त कर रहा है।

यह कि वादी के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी स्वअर्जित उपरोक्त भूमियों की एक वसीयत दिनांक 18.12.1982 को वादी के हक में आलेखित कर दी थी। वादी के पिता लक्ष्मण जी का देहावसान हो जाने के पश्चात वादी ही उक्त भूमियों को बहैसियत खातेदार व मालिक काश्त करता चला आ रहा है और उक्त भूमियों का खातेदार हो गया है तथा खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

यह कि उपरोक्त भूमियों पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा तथा उक्त लक्ष्मण जी की भूमियों से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है। क्योंकि प्रतिवादी नं0 1 के पास अन्य गांवों की भूमि दी गयी है जो उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है। किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है जिसका कि उन्हे कोई अधिकार प्राप्त नही है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज कराने को दिनांक 10.06.2012 को कहा तो प्रतिवादीगण ने वादी के नाम दर्ज कराने से मना कर दिया तथा धमकी दी किवे वादी को उक्त भूमि को काश्त नहीं करने देगे ओर इंतकाल खुलवाये बिना ही भूमि को रहन बेचान कर देगें। यदि प्रतिवादीगण को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। इस कारण खातेदारी घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(अ) कि वादी को वसीयत के आधार पर ग्राम मेंहदी तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 69/760 की 0.17 हेक्टर व खसरा नम्बर 69/761 की 0.17 हेक्टर कुल दो किता की 0.34 हेक्टर भूमि का एवं ग्राम कंवरपु[illegible] नमबर 59 की 0.43 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे।

(ब) कि ग्राम मेंहदी तहसील दीगो[illegible]/760 की 0.17 हेक्टर व खसरा नम्बर 69/761 की 0.17 हेक्[illegible] भूमि का एवं ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

कंवरपुरा तहसील दीगोद की खसरा नमबर 59 की 0.43 हेक्टर भूमि वादी के खाते दर्ज की जावे।

वादी की ओर से निम्न फर्द दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो पत्रावली में शामिल मिसल है।

1– नकल फोटा प्रति जमाबन्दी ग्राम तोरण सम्वत 2064–67
2– नकल फोटो प्रति जमाबन्दी ग्राम डूंगरज्या सम्वत् 2064–67
3– खसरा गिरदावरी सम्वत 2068 मेहंदी
4– खसरा गिरदावरी सम्वत 2068 कंवरपुरा
5– नकल फोटो प्रति वसीयत नामा दिनांक 18.12.1982
6– नकल खादारी का पत्र 26.04.1967
7– किस्त प्रमाण पत्र दिनांक 19.11.1968
8– किस्त प्रमाण पत्र 6.11.68
9– किस्त प्रमाण पत्र 11.09.69

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई प्रतिवादी की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र का प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। मृतक लक्ष्मण के वारिसान का शपथ पत्र प्रस्तुत हे जो शामिल फाईल किया गया तथा उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गयाः–

1– यह कि उक्त वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है।

2– यह कि उक्त वाद में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है तथा वादी वादी छीतरलाल (मृतक) के पक्ष में पिता द्वारा की गयी वसीयत को स्वीकार करते है तथा उदसके आधार पर वादग्रस्त भूमि ग्राम कंवरपुरा व ग्राम मेंहदी की भूमि वादी छीतरलाल के वारिसान के खाते दर्ज किये जाने में आपत्ति नहीं है तथा प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है। साथ ही वादी नं0 1/2 कलाबाई , 1/3 कौशल्या बाई , बहिने भी अपना हक स्वेच्छा पूर्वक अपने भाई रामस्वरूप के हक में त्याग करना चाहती है।

3– यह कि ग्राम कंवरपुरा एवं मेंहदी की भूमि का केवल रामस्वरूप पिता छीतरलाल को खातेदारी दर्ज करने पर सहमति है। अतः राजीनामा पेश कर प्रार्थना कि है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है [illegible] कंवरपुरा के खसरा नम्बर 59 की रकबा 0.43 हेक्टर एवं ग्राम मेंहदी के [illegible] 69/760 रकबा 0.17 हेक्टर व खसरा नम्बर 69/761 की [illegible] 2 रकबा 0.34 हेक्टर भूमि मृतक छीतरलाल के वारिसान को [illegible] दर्ज करने [illegible] सहमति होने पर वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

आराजी में रामस्वरूप पिता छीतरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। कलाबाई पुत्री छीतरलाल व कौशल्या बाई पुत्री छीतरलाल द्वारा स्वेच्छा से अपना हिस्सा त्याग करने पर तहसीलदा दीगोद नियमानुसार हक त्याग करने का शुल्क वसूल करते हुए मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद कोटा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

उनवान

1– छीतरलाल आत्मज लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी ग्राम कचौलिया तह0 दीगोद (मृतक) के कायम मुकामान

1/1 रामस्वरूप पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल

1/2 कलाबाई पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल

1/3 कोशल्या पुत्री छीतरलाल जाति मेघवाल

निवासीगण ग्राम कचौलिया तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादीगण)

बनाम

1– कजोड पिता लक्ष्मण जाति मेघवाल निवासी कचौलिया

2– मथरी बाई पुत्री लक्ष्मण पत्नी जगन्नाथ जाति मेघवाल निवीस बालून्दी जिला बूँन्दी मृतक के कायम मुकामान

2/1 श्रवण माता मथरीबाई

2/2 रामरतन माता मथरीबाई

2/3 रामलाल माता मथरीबाई

2/4 प्रभूलाल माता मथरीबाई जातियान मेघवाल निवासी कचौलिया

3– नन्दकिशोर पिता कजोड जाति मेघवाल निवासी कचौलिया

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद

(अप्रार्थी)

वादीगण की ओर से – श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट</u>

<u>मिसल नं 98/2012</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादिनी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – : उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा अनुसार ग्राम कंवरपुरा के खसरा नम्बर 59 की रकबा 0.43 हेक्टर एवं ग्राम मेंहदी के खसरा नम्बर 69/760 रकबा 0.17 हेक्टर [illegible] नम्बर 69/761 की रकबा 0.17 हे0 कुल किता 2 रकबा 0.34 हेक्टर भूमि मृतक छीतरलाल के वारिसान को खातेदार दर्ज करने पर सहमति होने पर वादग्रस्त आराजी में रामस्वरूप पिता छीतरलाल को खातेदार घोषित किया जाता है। कलाबाई पुत्री छीतरलाल व कौशल्याबाई [illegible] पुत्री छीतरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned by CamScanner

द्वारा स्वेच्छा से अपना हिस्सा त्याग करने पर तहसीलदा दीगोद नियमानुसार हक त्याग करने का शुल्क वसूल करते हुए मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 21.06.2022 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बवत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2022.09.13 15:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner